



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, बिहार
 जीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800 001
Office of The Principal Accountant General
(Audit), Bihar
 Birchand Patel Marg, Patna - 800 001
 Telephone: 0612- 2221226,
 Email: agaubihar@csa.gov.in



का.आ.सं.-सम्पदा(ले.प.)-आवास-आवं/2025-26/ग- 207 दिनांक:- 11.09.2025

कार्यालय आदेश

सरकारी आवास, जो प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में है, आवंटन नियमावली 2021 के अनुसार, ऑडिट कॉलोनी (महालेखाकार कार्यालय आवासीय परिसर) एवं आर0 ब्लॉक आवासीय कॉलोनी स्थित निम्नलिखित सरकारी आवास को अगले आदेश तक आवंटित किया जाता है।

ऑडिट कॉलोनी (महालेखाकार कार्यालय आवासीय परिसर) :

क्रम सं.	नाम एवं कार्यालय का पदनाम(श्रीमति/श्री)	नाम	Emplay.ID No.	आवंटित आवास सं.	आवास टाईप
1	सुनिल कुमार, स०नि० (रा०भा०)	लेखा एवं हक०	BHPTE2031089	C-5/03	IV
2	विजय कुमार - III, स०ले०प०अ०	लेखापरीक्षा	BHPTA3031539	C-5/08	IV
3	राजीव कुमार सिंह, पर्य०	लेखापरीक्षा	BHPTL3340061	C-5/01	IV
4	शशि भूषण कुमार - I, स०ले०अ०	लेखा एवं हक०	BHPTE2030359	C-2/06	IV
5	बिनोद कुमार वर्मा, व०ले०प०अ०	वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा	PHPTP7010534	C-5/07	IV
6	तरुण कुमार मिंज, स० पर्य०	लेखापरीक्षा (रक्षा सेवाएँ)	BHPTD8012075	B-1/11	III
7	मणि भूषण तिवारी, ले०प०	लेखापरीक्षा	BHPTA3031734	B-3/02	III
8	संजय यादव, लिपिक	लेखा एवं हक०	BHPTE2030613	A-1/16	II

उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेशित किया जाता है कि Allotment of

Government Residences (IA&AD) Rules 2021 के नियम 7(3) के अनुसार इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 8 दिनों के अन्दर अपनी स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी को दें। नियमावली प्रावधान 7(4) के अनुसार आवंटन स्वीकार की स्थिति में 5 कार्य दिवस के अन्दर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग महालेखाकार भवन, पटना से उस आवंटित आवास का अधिग्रहण करना होगा। आवंटनी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आवंटित आवास में कोई मरम्मत कार्य की जरूरत नहीं है। मरम्मत कार्य होने की स्थिति में सी.पी.डब्ल्यू.डी.से समन्वय कर मरम्मती कार्य कराकर आवंटित आवास का अधिग्रहण करें। निर्धारित शुल्क की कटौती अधिग्रहण की तिथि से की जाएगी।

आवंटन अस्वीकार अथवा स्वीकृति पश्चात अधिग्रहण नहीं करने की स्थिति में आवासीय नियमावली प्रावधान 7(5)(i) के तहत अगले तीन महीने तक आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा एवं एक महीने की अनुज्ञप्ति शुल्क भुगतान करने को बाध्य होंगे। Allotment of Government Residences (IA&AD) Rules, 2021 के अन्य नियम एवं शर्तें लागू होंगे।

आवंटनी द्वारा विद्युत कनेक्शन अपने ही नाम से लेना अनिवार्य है। इसकी सूचना अधिग्रहण से 15 दिनों के अंदर संपदा अनुभाग को दिया जाय। आवास रिक्त करने से पहले बिलों का पूर्ण भुगतान करके विद्युत विच्छेदन प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा। इस आवश्यकता की पूर्ति के बिना कनेक्शन विच्छेद के आवास का अधिपत्य वापस नहीं लिया जायेगा तथा नियमानुसार निर्धारित पिनल चार्ज की वसूली वेतन से किया जायेगा।

हं/-

वरिष्ठ उपमहालेखाकार
(प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का सचिवालय।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) का सचिवालय।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (दावा-I)
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन-II) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा बिहार, गर्दनीबाग रोड नं- 01, पटना - 800001
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय निदेशक, लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ, पूर्वी

कमान, पटना - 800019 ।

7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेल, महप्रबंधक कार्यालय परिसर, एस०बी०आई० ए०टी०एम० के पीछे, हाजीपुर-844101

8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.एस. से अनुरोध है कि कार्यालय के वेबसाइट पर कार्यालय आदेश का प्रदर्शन सुनिश्चित कराएँ।

9. सहायक अभियंता (सिविल) के.लो.नि.विभाग, ऑडिट भवन, पटना।

10. सहायक अभियंता (विद्युत), पटना केन्द्रीय प्रमंडल संख्या-1, के.लो.नि.विभाग, पुनाईचक, पटना-23

11. कार्यपालक अभियंता (सिविल), पटना केन्द्रीय प्रमंडल संख्या-1, के.लो.नि.विभाग, पुनाईचक, पटना-23

12. कार्यपालक अभियंता (विद्युत), पटना केन्द्रीय विद्युत प्रमंडल, के.लो.नि.विभाग, पुनाईचक, पटना-23

13. स्थानीय विद्युत कर्मी, ऑडिट भवन पटना।

14. संबंधित व्यक्ति।

Digitally signed by

Diwakar Ray

Date: 23-09-2025

12:30:56

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(संपदा)

दूरभाष /Phone - 2221941, 2223194, 2506283, 2223725, 2506091, 2223757